

(213)

(89)

(60)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर सिक्रेट कोर्ट रीवा
निगरानी प्रकरण क्रमांक R.5548-11/16



RS. 30/-

समल काछी तनय बुद्धी काछी (मृतक) द्वारा विधिक प्रतिनिधि वृन्दावन काछी उम्र 54 वर्ष तनय स्व0 समल काछी पेशा खेती एवं बागवानी, निवासी ग्राम हर्दी, तहसील गुढ़ जिला रीवा (म0प्र0)

अधिवक्ता श्री महेश दयाल
उपाध्यक्ष डोगा पेशा 28-12-16

R 5548-II/16

.....आवेदक/अपीलार्थी

विरुद्ध

कर के लिये कोर्ट
न्यायालय म0 प्र0 रीवा
(सिक्रेट कोर्ट) रीवा

1. रामकिशोर पुत्र स्व0 भूरा काछी
 - राजेश कुमार पुत्र स्व0 भूरा काछी
 - सुरेश कुमार पुत्र स्व0 भूरा काछी ✓
 4. श्रीमती मानवती विधवा पत्नी स्व0 रामनिवास काछी ✓
 5. श्रीमती फूलबाई पत्नी स्व0 बसन्त काछी ✓
- सभी निवासी ग्राम हर्दी, तहसील गुढ़ जिला रीवा (म0प्र0)
6. शासन म0प्र0

.....अनावेदकगण/प्रत्यर्थीगण

निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक 20-12-2016 ई0 जो कि न्यायालय श्रीमान् जिलाध्यक्ष महोदय, जिला रीवा (म0प्र0) द्वारा प्रकरण क्रमांक 39/अ-6/अपील/2008-09 में पारित किया गया है और जिसके द्वारा आवेदक की अपील निरस्त की गयी है। अंतर्गत धारा 7 म0प्र0 वासस्थान दखलकार (भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम 1980 ई0

न्यवर,

आवेदक नीचे लिखे अनुसार इस माननीय न्यायालय में निगरानी आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा है:-




वृन्दावन

20/12/2016

(89)
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R. 5548-II/16 जिला- रीवा

समल कादी विरुद्ध शमीशोर कादी

| (1) | (2) | (3) |
|----------|--|-----|
| 16-1-19- | <p>1. आवेदक की ओर से श्री. <u>कृ. पी. पाण्डेय</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर/ अपर कलेक्टर, जिला- <u>रीवा</u> के प्रकरण क्रमांक <u>39/31-6/31/2008-09</u> में पारित आदेश दिनांक <u>20.12.16</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक <u>29.03.19</u> को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p> | |